

प्रेषक

निदेशक,
खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में वर्ष 2011 में पास एस0ए0एस0भाग-1,
के उम्मीदवार (बोर्ड/निगमों/यूनिवर्सिटीज तथा एल0ए0डी0 के
उम्मीदवारों को छोड़ कर)
यादी0क023050-टीए-हर-4टी/2012/3067-80
दिनांक :02.03.2012

विषय:- स्टाप गैप अरैजमेंट के तहत अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2- इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा वर्ष 2011 में एस0ए0एस0भाग-1 की परीक्षा पास करने वाले केवल उन उम्मीदवारों को जिन्होंने 350 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं को स्टाप गैप अरैजमेंट में अपने ही वेतनमान जमा 100/-रु0 विशेष वेतन में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के तहत किया गया है । यदि वे नीचे दी गई शर्तों के तहत अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो अपनी आपशन दिनांक 15-3-2012 तक दे सकते हैं । चूंकि रिक्त पदों की संख्या सीमित (कम) है और यदि उपलब्ध रिक्त पदों से अधिक उम्मीदार अपनी आपशन देते हैं तो उस अवस्था में एस0ए0एस0 भाग-1 की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर ही नियुक्ति दी जायेगी :-

- 1-It is purely a stop gap arrangement and officials offered appointment will have no right to the post of SAS Section Officer (OB)
- 2-They can be reverted back to their parent Department on or prior to the availability of SAS qualified person or on any other administrative grounds.
- 3-They will not have any right/claim of regular/permanent appointment as SAS Section Officer and the pay scale and other benefit attached to the post.
- 4-In the matter of disciplinary action they will be strictly under the control of their parent Department. However, Director of Treasuries and Accounts Department will have the right of recommendation for initiating disciplinary proceedings.
- 5-The appointment will not confer any right to the post of Section Officer towards pay, experience, seniority and probation etc

संयुक्त निदेशक,
कृते:निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ़ । 2/03/12